न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 38 / 2023 रा.वा.

उनवान

1. श्री शंकरलाल पुत्र वालिया मीणा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी थड़ूआ (बासां) तहसील सलूम्बर हाल मुकाम मामादेव तहसील कुराबड जिला उदयपुर (राज.)

–वादीगण

विरूद्ध

1. श्री मोता पुत्र भगा मीणा उम्र बालिग
2. श्री रूपा पुत्र भगा मीणा उम्र बालिग
3. श्री मावा पुत्र भगा मीणा उम्र बालिग
4. श्री उदा पुत्र भगा मीणा उम्र बालिग
5. श्री कालू पुत्र भगा मीणा उम्र बालिग
6. श्री शंभु पुत्र दुदा मीणा उम्र बालिग
7. श्री भेरा पुत्र दुदा मीणा उम्र बालिग
8. श्री गणेश पुत्र पूंजा मीणा उम्र बालिग
9. श्रीमती पेमीबाई पत्नी पूंजा मीणा उम्र बालिग
10. श्रीमती कैलाश पत्नी प्रकाश मीणा उम्र बालिग
11. श्री देवीलाल पुत्र पेमा मीणा उम्र बालिग
12. श्री भेरा पुत्र वाला मीणा उम्र बालिग
13. श्री भेरूलाल पुत्र हरजी मीणा उम्र बालिग

निवासीयान थड़ूआ (बासां) तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

–प्रतिवादीगण

कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा–183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक: 03/09/24

उपस्थितः– श्री गोपाल चौबिसा–अधिवक्ता वादीगण
एक पक्षीय – प्रतिवादीगण

::निर्णय::

वादीगण के वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न है कि वादी की काश्तकारी भूमि मौजा बांसा पटवार हल्का उथरदा भू.अ.नि. गींगला तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075–2078 की खाता संख्या नया 224 पुराना 230 कुल किता 16 रकबा 1.44 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादी की पैतृक है। वादी के पिता वालिया मीणा अपने गांव थडुआ बांसा से आज से 40 वर्ष पूर्व मजदूरी करने झामरकोटडा माईन्स पर रोज घर से जाते थे, घर पर परिवार के बाकी लोग रहते थे, पिता की मृत्यु के बाद वादी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

भी आज से 10 वर्ष पूर्व झामरकोटडा माईन्स पर मजदूरी करने अपने परिवार के साथ चला गया एवं माईन्स के पास मामादेव गांव में रैहने लगा तथा समय–समय पर थड़ूआ बांसा गावं वादग्रस्त आराजी की काश्त करता रहता, लेकिन विगत दो वर्ष से वादी स्वयं काश्त वादग्रस्त आराजी में नही कर प्रतिवादीगण को सिजारे में काश्त करने के लिये दी। प्रतिवादीगण ने दो वर्ष तक वादग्रस्त आराजी में होने वाली फसलो की पैदावार को वादी को आधी हिस्से में दी, लेकिन इस वर्ष गेहूं की फसलो की पैदावार हुई थी, जो प्रतिवादीगण ने वादी को देने से मना कर दिया एवं वादग्रस्त आराजी का कब्जा भी वादी को सौपने से साफ ईन्कार कर दिया।

अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी को प्रतिवादीगण से कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे तथा न ही उक्त कार्य स्वयं करे न ही अपने नौकरो, सेवको अथवा परिजनो से करावे।

पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 03–04–2024 को प्रतिवादीगण के गैर हाजिर रहने से प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण ने जवाब पेश नही किया इसलिये पत्रावली मे तनकीयात नही बनाई गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र की पुष्ठी मे गवाह पी.डब्ल्यू. 1 वादी स्वयं, पी.डब्ल्यू. 2 गोविन्द पिता भेरा, पी.डब्ल्यू. 3 केवा पिता विरजी पटेल के शपथ पत्र पेश किये तथा दस्तावेजी सिबूत प्रर्दश 1 जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता सं. 224 की नकल पेश की।

पत्रावली मे वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस करते हुए वादपत्र को दोहराया एवं निवेदन किया कि वादी वाद वर्णित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है जबकी प्रतिवादीगण का उक्त भूमि कोई हक हिस्सा नही है उके बावजूद प्रतिवादीगण वादी की जमीन पर वादी का कब्जा हटाने का प्रयास कर रहे है तथा वादग्रस्त आराजी से कब्जा खाली करने को तैयार नही है इसलिये वादीगण का स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद डिक्री किया जावे तथा वादी को प्रतिवादीगण से कब्जा दिलाया जावे।

वादी की एक पक्षीय बहस सुनने के बाद मैने पूरी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं वादी का वादपत्र एवं वादी गवाह के कथनो एवं वादी द्वारा पेश दस्तावेजा को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। राजस्व जमाबंदी मौजा बांसा पटवार हल्का उथरदा भू.अ.नि. गींगला तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075–2078 की खाता संख्या नया 224 पुराना 230 कुल किता 16 रकबा 1.44 हैक्टेयर भूमि मे वादी के नाम दर्ज अंकित है। वादी वाद वर्णित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौजा बांसा पटवार हल्का उथरदा भू.अ.नि. गींगला तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075–2078 की खाता संख्या नया 224 पुराना 230 कुल किता 16 रकबा 1.44 हैक्टेयर भूमि वादीगण के आराजीयात की भूमि में किसी प्रकार की दस्तनदाजी नही करे तथा ना ही उक्त कार्य अपने अधीनस्थ व्यक्ति या नौकरो अथवा

ायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मजदुरो से करावे। तथा तहसीलदार सलूम्बर को आदेशित किया जाता है कि वादी के आराजीयात की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का कब्जा किया है तो उसे नियमानुसार हटाया जाकर कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावे। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा कायम हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
सलुम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर, सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 38 / 2023 रा.वा.

उनवान

1. श्री शंकरलाल पुत्र वालिया मीणा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी थडूआ (बासां) तहसील सलूम्बर हाल मुकाम मामादेव तहसील कुराबड़ जिला उदयपुर (राज.)

—वादीगण

विरूद्ध

1. श्री मोता पुत्र भगा मीणा उम्र बालिग
2. श्री रूपा पुत्र भगा मीणा उम्र बालिग
3. श्री मावा पुत्र भगा मीणा उम्र बालिग
4. श्री उदा पुत्र भगा मीणा उम्र बालिग
5. श्री कालू पुत्र भगा मीणा उम्र बालिग
6. श्री शंभु पुत्र दुदा मीणा उम्र बालिग
7. श्री भेरा पुत्र दुदा मीणा उम्र बालिग
8. श्री गणेश पुत्र पूंजा मीणा उम्र बालिग
9. श्रीमती पेमीबाई पत्नी पूंजा मीणा उम्र बालिग
10. श्रीमती कैलाश पत्नी प्रकाश मीणा उम्र बालिग
11. श्री देवीलाल पुत्र पेमा मीणा उम्र बालिग
12. श्री भेरा पुत्र वाला मीणा उम्र बालिग
13. श्री भेरूलाल पुत्र हरजी मीणा उम्र बालिग

निवासीयान थडूआ (बासां) तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा—183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल चौबिसा एवं प्रतिवादीगण की एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 03/09/2024 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौजा बांसा पटवार हल्का उथरदा भू.अ.नि. गींगला तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075—2078 की खाता संख्या नया 224 पुराना 230 कुल किता 16 रकबा 1.44 हैक्टेयर भूमि वादीगण के आराजीयात की भूमि में किसी प्रकार की दस्तनदाजी नही करे तथा ना ही उक्त कार्य अपने अधीनस्थ व्यक्ति या नौकरो अथवा मजदुरो से करावे। तथा तहसीलदार सलूम्बर को आदेशित किया जाता है कि वादी के आराजीयात की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का कब्जा किया है तो उसे नियमानुसार हटाया जाकर कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावे।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना—अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 03/09/2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	–	–
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	02	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	–	–	प्लीडर की फीस	–	–
4. रूपये पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	–	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	04	–	योग	0	–

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर सलूम्बर
सलूम्बर
जिला सलूम्बर